

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.3(ग)ए सी.पी./1992 सामान्य-11/अलेसे-11/4537-44

दिनांक-03.05.2013

कार्यालय आदेश संख्या 45/2013-14

राज्य सरकार की अतिरिक्त क्रमांक प.11 (7) एफडी/रूल्स/2008/दिनांक 12.09.08 एव दिनांक 06.10.08 एव वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-14(88)एफडी(नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में निम्नांकित लेखाकारों जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर परीक्षा उत्तीर्ण कर कार्यग्रहण किया था तथा जिन्होंने 18 वर्ष एवं अधिक की राजकीय सेवा निरन्तर एवं संतोषजनक पूर्ण कर ली है को उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का द्वितीय एसी.पी. पी.बी.-2, 9300-34800 पे-बैंड एवं पे-बैंड-पे 4200 स्वीकृत किया जाता है।

क्र.स.	नाम लेखाकार (सर्वोच्च)	जन्मतिथि	प्रथम कार्यग्रहण तिथि	ए.सी.पी. स्वीकृति दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	हरिनारायण मीणा	16.05.1968	06.03.1995	06.03.2013	
2.	मूलचन्द मीणा	04.08.1969	13.03.1995	13.03.2013	
3.	शंकर लाल मीणा	20.07.1966	14.03.1995	14.03.2013	
4.	मधुरालाल मीणा	10.02.1968	08.03.1995	08.03.2013	

उपरोक्त लेखाकारों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एव वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.14 (88) एफडी (नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.09 में दी हुई शर्तों के सम्बन्ध में संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र व सन्तान सम्बन्धी घोषणा प्राप्त के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृत किया जाता है।

उपरोक्त क्रम संख्या 2 से 4 पर अंकित लेखाकारों के वार्षिक कार्य-मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण वित्त विभाग के आदेश न.14 (88) वित्त/नियम/08 दिनांक 27.07.12 तथा प्राप्त सम्बन्धीकरण के आधार पर गत 9 वर्षों में से 7 वर्षों की ए.सी.पी. स्वीकृति व संतोषजनक सेवा एवं प्रमाण पत्र प्राप्त होने के आधार पर उक्त ए.सी.पी. इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन में पतिकूल प्रवृत्ति होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृति के द्वारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।


उपरोक्त लेखाकारों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19, आदेश दिनांक 06.10.2008 एवं एफ-14(88)एफडी(नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.2009 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयमार्फत द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की परिधि आरम्भक रूप से सम्बन्धित लेखाकारों की सेवापूर्विका में ही जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व सम्बन्धित कार्यालयमार्फत द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि सम्बन्धित लेखाकार ए.सी.पी. स्वीकृति तिथि को राजस्थान रिजर्व सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 2008 में पे-बैंड 3600 में वेतन प्राप्त कर रहे हैं तथा ए.सी.पी. स्वीकृति तिथि को उनके विरुद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं है।

  
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3(ग)ए सी.पी./1992 सामान्य-11/अलेसे-11/4537-44  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

दिनांक-03.05.2013

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष.....
2. श्री..... लेखाकार कार्यालय.....
3. निजी सहायक निदेशक महोदय।
4. निजी पत्रावली मूल आवेदन सहित/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग/कम्प्यूटर अनुभाग (बिदसार्ड हेतु)

  
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)